

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 401 का उत्तर

कर्नाटक के लिए नई रेलवे लाइन

401. डॉ. के. सुधाकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास चिक्काबल्लापुर गौरीबिदनूर बड़ी लाइन, चिक्काबल्लापुर-श्री सत्य साईं प्रशांति निलयम (पुट्टपर्थी) बड़ी लाइन, श्रीनिवासपुरा- मदनपल्ली बड़ी लाइन, मारिकुप्पम-कुप्पम बड़ी लाइन परियोजनाओं जैसी नई रेल लाइनों के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इन परियोजनाओं के संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास कर्नाटक के लिए नई रेल लाइनों के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) कर्नाटक के लिए बनाई जा रही और कार्यान्वित की जा रही नई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ.) क्या सरकार की बंगलौर के बाहरी क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के लिए उपनगरीय रेलगाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

कर्नाटक के लिए नई रेलवे लाइनों के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में डॉ. के. सुधाकर के अतारांकित प्रश्न सं. 401 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ड.) परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- चिक्काबल्लापुर-गौरीबिदनूर नई रेल लाइन (44 किमी): विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण स्वीकृत कर दिया गया है।
- चिक्काबल्लापुर-श्री सत्य साई प्रशांति निलयम (पुट्टपर्थी) नई रेल लाइन (103 किमी): परियोजना का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। कम यातायात अनुमान के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
- श्रीनिवासपुरा-मदनपल्ली नई रेल लाइन (75 किमी): परियोजना का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। कम यातायात अनुमान के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।
- मारिकुप्पम-कुप्पम नई रेल लाइन (24 किमी): सितंबर, 2013 में 279.54 करोड़ की लागत पर यह परियोजना स्वीकृत की गई थी। यह परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इस परियोजना में 320 एकड़ भूमि (कर्नाटक-70 एकड़ और आंध्र प्रदेश-250 एकड़) का अधिग्रहण शामिल है। इसमें से आंध्र प्रदेश में 70 एकड़ भूमि अभी सौंपी जानी शेष है। उपलब्ध भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

रेल परियोजनाओं का राज्य-वार/जिला-वार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। भारतीय रेल में रेल परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है।

रेल अवसंरचना परियोजनाएं चालू परियोजनाओं की देयताओं, निधियों की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों के आधार पर लाभप्रदता, अंतिम छोर तक संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, भीड़भाड़/संतृप्त लाइनों के संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर शुरू की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में पूरी तरह से/आंशिक रूप से आने वाली 47,016 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 3,840 किलोमीटर लंबाई की कुल 31 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (21 नई लाइन और 10 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण चरणों में हैं, जिनमें से 1,302 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2024 तक 17,382 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। इसमें शामिल है:

- (i) 33,125 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,556 किलोमीटर कुल लंबाई की 21 नई लाइन परियोजनाएं, जिनमें से 395 किलोमीटर लंबी लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2024 तक 7,592 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।
- (ii) 13,891 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 1,284 किलोमीटर लंबाई की 10 दोहरीकरण परियोजनाएं, जिनमें से 907 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है और मार्च, 2024 तक 9,791 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर), मध्य रेलवे (सीआर), दक्षिण रेलवे (एसआर) और दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) जोनों के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित सभी रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

इसके अतिरिक्त भारतीय रेल पर उपनगरीय सेवाओं सहित गाड़ी सेवाओं को शुरू करना यातायात संसाधनों की उपलब्धता, औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता के अध्यधीन एक सतत् प्रक्रिया है।

कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं को चालू करना निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन किया गया कुल रेलपथ	कमीशन किया गया औसत रेलपथ	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	565 किमी.	113 किमी/वर्ष	-
2014-24	1,633 किमी.	163 किमी/वर्ष	1.44 गुणा

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना (परियोजनाओं) स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त बाध्यताओं के बावजूद परियोजना को तेजी से पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
